अनुदान संख्या 43 – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 43 - DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2100,00,00		4575,01,00	3124,59,38	-1450,41,62
पूरक	Supplementary	2475,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1450,41,47

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹145041.62 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹247501.00 लाख के पूरक अनुदान का 59 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall saving (₹145041.62 lakhs) constituted 59 percent of the supplementary grant of ₹247501.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and 32 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	4200.00	2876.91	2876.84	-0.07
पु.	R.	-1323.09			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	195400.00			
पू.	S.	247501.00	309582.62	309582.54	-0.08
पु.	R.	-133318.38			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10400.00	..	..	..
पु.	R.	-10400.00			

(I) ₹10400.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552"– "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी" के अंतर्गत छह मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹9400.00 लाख छः शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" – ₹8000.00 लाख;

(खा) "प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" – ₹800.00 लाख; और

(गा) "स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास" – ₹600.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹10400.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹9400.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Medical Education, Training and Research-Allopathy" - under the following heads:-

(A) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" - ₹8000.00 lakhs;

(B) "Management of Natural Calamities" - ₹800.00 lakhs; and

(C) "Promotion, co-ordination and development of Health Research" - ₹600.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान" – ₹171571.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹247500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹419071.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, देशी उत्पादन और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिप्राप्ति के विकेन्द्रीकरण की वजह से परीक्षण किटों/मशीनों/उपकरणों आदि के मूल्य में गिरावट के कारण ₹130392.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi" - the original provision of ₹171571.00 lakhs was augmented to ₹419071.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹247500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹130392.00 lakhs - due to fall in price of testing kit/machines/equipments etc. owing to indigenous production and decentralization of procurement to States/Union Territories.

(III) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग" – ₹1323.16 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्यालय भवन का संपत्ति कर दावा प्राप्त न होने, रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Department of Health Research" - saving of ₹1323.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to non-receipt of property tax claim in respect of office building, non-filling up of vacant posts and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(प्ट) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads: -

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अन्य व्यय" –

(A) "Urban Health Services - Allopathy- Other Expenditure" -

(क) "अनुसंधान गवर्नेंस के संबंध में संवर्धन तथा दिशा–निर्देश" – ₹1133.63 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अध्ययन आयोजित करने के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से हुई।

(a) "Promotion and Guidance on Research Governance" - saving of ₹1133.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for conducting studies on Health Technology Assessment in India.

(ख) "चिकित्सा, जैव–चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय" – ₹802.49 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research" - saving of ₹802.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for research projects.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – राज्यों में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाईयां" – ₹560.50 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के

(B) "Medical Education, Training and Research- Allopathy - Model Rural Health Research Units in the States" - saving of ₹560.50 lakhs (against

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 परीक्षण कार्याकलापों के लिए स्टॉफ को अन्यत्र भेजे जाने की वजह से अनुदान जारी किए जाने के लिए प्रस्ताव/उपयोग प्रमाणपत्रों आदि को प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) "लोक स्वास्थ्य – प्रशिक्षण – चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में अनुसंधान" – ₹1368.15 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्येतावृत्तियों के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹495.99 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2210" – "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण – महामारी फैलने से रोकने के लिए उपकरणों का विकास" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2210" – "लोक स्वास्थ्य – बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण – प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹689.93 लाख का अधिक व्यय (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to delay in submission of proposals/utilization certificates, etc. for release of grants owing to diversion of staff for COVID-19 testing functions.

(C) "Public Health- Training- Research in Medicine and Health" - saving of ₹1368.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for fellowships.

2.(I) The above savings were partly (₹495.99 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2210" - "Public Health-Prevention and Control of Diseases - Development of Tools to Prevent Outbreaks of Epidemics.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2210" - "Public Health - Prevention and Control of Diseases - Management of Natural Calamities" - excess of ₹689.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilization on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.